

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी 2023—पौष 23, शक 1944

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2023

अधिसूचना 01-एफ 1-13-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 71 में प्रकाशित नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 04, दिनांक 30 जनवरी 2018 में नगरपालिक निगम, इन्दौर में पार्षद के रूप में नामनिर्दिष्ट किये गये थे जिसमें राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नलिखित आंशिक संशोधन करता है:—

संशोधन

1. कॉलम क्र. (5) के अनुक्रमांक 2 में श्रीमती संगीता सातालकर पिता श्री राजू सातालकर, 149/सबनीसबाग 150 इन्दौर के स्थान पर श्रीमती संगीता पति राजेन्द्र सातालकर, निवासी 406/06 नेहरू नगर, इन्दौर पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.